

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

प्रभारी मीडिया,

इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र दैनिक 5/1/2021, दैनिक 5/1/2021 एवं दैनिक 5/1/2021 समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग

ई-निविदा

पत्रांक: 1511/सम्प0अनु0

दिनांक : 05/01/2021

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर वित्तीय वर्ष 2020-21(31, मार्च, 2021 तक) के ठेका रेत बजरी वाहन पार्किंग शुल्क के लिये नगर निगम कार्यालय ई-निविदा आमंत्रित आमंत्रित करता है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं-

क्र0सं0	पत्रा0 सं0	ठेके का नाम	जमानत राशि वर्ष 2019-20	जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र वर्ष 2019-2020	गत वर्ष स्वीकृत राशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)	न्यूनतम ऑफर धनराशि 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)
1	2	3	4	5	6	7
1	NZ3	ठेका रेत बजरी पार्किंग शुल्क	2,00,000.00	50 लाख	1,31,00,000.00(पूर्ण वर्ष हेतु)	30,02,100.00

नोट 1- प्रत्येक ठेके के निमित्त निर्धारित जमानत राशि नगद, एफ.डी.आर.डी0डी0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बंधक होगी, के साथ रंगीन फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

2- ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढ़ी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट


www.saharanpurnagarnigam.in व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।


3- ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4- जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नहीं होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

5- ऑनलाईन निविदा दिनांक 15.01.2021 को अपरान्ह 02:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 15.01.2021 को अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय में रखें टैण्डर बाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तददिनांक को सायं 04:00 बजे निविदा गठित समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

76- टैण्डर शुल्क अंकन 2592/- ₹0 (माल एवं सेवा कर सहित) देय होगा।


कर अधीक्षक
नगर निगम, सहारनपुर।


प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक: 1511/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0

दिनांक : 05/01/2021

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 05/01/2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3- रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।

4- नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


5/1/2021

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

वित्तीय वर्ष 2020-21(31, मार्च, 2021) तक के लिये ठेका रेत/बजरी पार्किंग शुल्क ई-निविदा हेतु निर्धारित शर्तें

- 1-प्रत्येक ठेके की निमित्त जमानत राशि की नकद/एफडी0आर0/ बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर सकते है। एफडी0आर0/ बैंक ड्राफ्ट लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी।
- 2-जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा टैण्डर शर्तों के अनुसार ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमानत राशि का समायोजन ठेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि ठेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नहीं ले सकता है।
- 3-सार्वजनिक टैण्डर प्रक्रिया ठेका स्वीकृति उपरान्त ठेका की समस्त धनराशि 03 दिवस के भीतर निगम कोष में जमा करने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
- 4-ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।
- 5-ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।
- 6-ठेके के निमित्त भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा। जिन ठेकों पर सेवा कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ-साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 7-ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा तथा वसूल की जाने वाली शुल्क की रसीदों का प्रारूप नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही रसीद जारी की जायेगी। ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 08-यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगा।
- 09- ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 10-यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11- किसी वाद-विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।
- 12- अनुबन्ध एवं कार्यादेश से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसीयत प्रमाण पत्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
- 13- सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा ठेके की प्रथम किश्त जमा करते हुए अनुबन्ध करने के पश्चात ही शेष बोलीदाता की जमानत राशि 01 सप्ताह बाद वापस की जायेगी।
- 14-रेत बजरी के ठेके के संबंध में :- नगर निगम की सीमा से सीधे बाहर गुजरने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। केवल नगर निगम सीमाओं के अर्न्तगत निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहनों से ही वसूली की जायेगी।
- 15- ठेका रेत बजरी वाहन पार्किंग शुल्क इस प्रकार वसूला जायेगा।
क. ट्रैक्टर ट्रॉली - 125 रु.
ख. ट्रक - 500 रु.
- 16- प्रत्येक ठेका की टैण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिये एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है, अन्यथा की तथा में ठेका टैण्डर स्वीकार्य नहीं होगा।
- 17-ठेके धनराशि बकाया रहने की स्थिति में उक्त ठेके में जमा, जमानत राशि जब्त कर ठेका राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर।